न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सत्य नारायण—I (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 178/2023 जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2023/72
दायर दिनांक :— 08.11.2023 निर्णय दिनांक :— 11.05.2026

1. गोरधनसिंह पुत्र प्रभुसिंह जाति राजपूत निवासी खेतुसर तहसील बाप जिला फलोदी
2. तुलछसिंह पुत्र प्रभुसिंह जाति राजपूत निवासी खेतुसर तहसील बाप जिला फलोदी
3. देवीसिंह पुत्र प्रभुसिंह जाति राजपूत निवासी खेतुसर तहसील बाप जिला फलोदी
4. चुतरसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी खेतुसर तहसील बाप जिला फलोदी
5. नरपतसिंह पुत्र महादानसिंह जाति राजपूत निवासी खेतुसर तहसील बाप जिला फलोदी
6. शेरसिंह पुत्र महादानसिंह जाति राजपूत निवासी खेतुसर तहसील बाप जिला फलोदी

—वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :—1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आशय से पेश किया कि ग्राम बारू पटवार हल्का बारू तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 1316 रकबा 12.6828 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1318 रकबा 6.6935 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि को वाद में आगे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया जायेगा। जमांबदी संवत् 2078—2081 संलग्न वाद पेश है। उक्त वादग्रस्त भूमि नोरसिंह पुत्र सांगसिंह 1/8 हिस्सा, मंगलसिंह पुत्र सांगसिंह 1/8 हिस्सा, रघूनाथसिंह पुत्र चिमनसिंह 1/8 हिस्सा, शैतानसिंह पुत्र सांगसिंह 1/8 हिस्सा तथा वादीगण के नाम से वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। नोरसिंह पुत्र सांगसिंह, मंगलसिंह पुत्र सांगसिंह, रघूनाथसिंह पुत्र चिमनसिंह व शैतानसिंह पुत्र सांगसिंह लाऔलाद फौत हो चुके है और नोरसिंह वगैरा के प्रथम श्रेणी के कोई वारिसान नहीं है। वादीगण नोरसिंह वगैरा के द्वितीय श्रेणी के वारिसान है इसलिये नोरसिंह वगैरा के लाऔलाद फौत हो जाने पश्चात नोरसिंह वगैरा के 4/8 हिस्सा भूमि पर वादीगण का कब्जा व काश्त चला आ रहा है इसलिये वादीगण ग्राम बारू पटवार हल्का बारू तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 1316 रकबा 12.6828 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1318 रकबा 6.6935 हैक्टेयर भूमि में नोरसिंह पुत्र सांगसिंह, मंगलसिंह पुत्र सांगसिंह, रघूनाथसिंह पुत्र चिमनसिंह व शैतानसिंह पुत्र सांगसिंह के नाम विलोपिता करवाकर उक्त सम्पूर्ण भूमि में वादीगण सं. 1 ता 3 अपने 1/3 हिस्सा के, वादी सं. 4 अपने 1/3 हिस्से तथा वादीगण सं. 5 व 6 अपने 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है जिसका यह वाद पेश है। उक्त वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि पर नोरसिंह वगैरा

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

लाऔलाद देहान्त के पश्चात वादीगण सं. 1 ता 3 अपने 1/3 हिस्से, वादी सं. 4 अपने 1/3 हिस्सा तथा वादीगण सं. 5 व 6 अपने 1/3 हिस्सा अपना कब्जा व काश्त शांतिपूर्वक लगातार चला आ रहा है तथा वादीगण अपने-अपने हिस्से अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि पर काश्त कर प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक पैदावार का उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे है इसलिये वादीगण ग्राम बारू पटवार हल्का बारू तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 1316 रकबा 12.6828 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1318 रकबा 6.6935 हैक्टेयर भूमि में नोरसिंह पुत्र सांगसिंह, मंगलसिंह पुत्र सांगसिंह, रघूनाथसिंह पुत्र चिमनसिंह व शैतानसिंह पुत्र सांगसिंह के नाम विलोपिता करवाकर उक्त सम्पूर्ण भूमि में वादीगण सं. 1 ता 3 अपने 1/3 हिस्सा के, वादी सं. 4 अपने 1/3 हिस्से तथा वादीगण सं. 5 व 6 अपने 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है जिसका यह वाद पेश है। अभी दिनांक 05.10.2023 को वादीगण ने प्रतिवादी को नोरसिंह पुत्र सांगसिंह, मंगलसिंह पुत्र सांगसिंह, रघूनाथसिंह पुत्र चिमनसिंह व शैतानसिंह पुत्र सांगसिंह के नाम उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेख से विलोपित कर उनके स्थान पर अपना नाम राजस्व रेकर्ड दर्ज करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी ने वादीगण का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने से मना कर सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने को कहा इसलिये खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु यह वाद पेश है।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार बाप ने जवाब पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। तनकीयात कायम की जाकर शामिल पत्रावली की गई। वादीगण संख्या 5 नरपतसिंह पुत्र महादानसिंह के बयान पी.डब्लू-1, पड़ोसी खातेदार गनेसिंह पुत्र मगसिंह के बयान पी.डब्लू-2 तथा वादीगण संख्या 2 तुलछसिंह पुत्र प्रभुसिंह के बयान पी.डब्लू-3 के बयान कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये।

अधिवक्ता वादीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, पैरोकार सरकार का जवाब इत्यादि का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी ग्राम बारू पटवार हल्का बारू तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 1316 रकबा 12.6828 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1318 रकबा 6.6935 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादीगण नोरसिंह पुत्र सांगसिंह 1/8 हिस्सा, मंगलसिंह पुत्र सांगसिंह 1/8 हिस्सा, शैतानसिंह पुत्र सांगसिंह 1/8 हिस्सा, रघूनाथसिंह पुत्र चिमनसिंह 1/8 हिस्सा जाति राजपूत सा.देह खातेदार दर्ज है। वादीगण ने उक्त वाद पैतृक सम्पति के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का पेश किया है। नोरसिंह, मंगलसिंह, शैतानसिंह पुत्र सांगसिंह, रघूनाथसिंह पुत्र चिमनसिंह लाऔलाद फौत हो चुके है। नोरसिंह वगैरा के प्रथम श्रेणी वारिसान नहीं है। वादीगण नोरसिंह के द्वितीय श्रेणी के वारिसान है। वादीगण ने द्वितीय श्रेणी के वारिसान होने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है केवल मात्र वाद पत्र के अभिकथनों के आधार पर वादीगण को पूर्व खातेदार का द्वितीय श्रेणी वारिसान होना नहीं माना जा सकता है। वाद पत्र में

Satya..
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

शैतानसिंह को सांगसिंह का पुत्र होने के कथन अंकित किये है परन्तु प्रदर्श–5 शैतानसिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र में पिता का नाम मंगलसिंह अंकित है। वाद पत्र के अभिकथनों एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात में विरोधभाष होने से वादीगण का वाद दस्तावेजात से साबित नहीं होता है। वादीगण का वाद दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

Satya

(सत्य नारायण–I, आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी – सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

1. गोरधनसिंह पुत्र प्रभुसिंह जाति राजपूत निवासी खेतुसर तहसील बाप जिला फलोदी
2. तुलछसिंह पुत्र प्रभुसिंह जाति राजपूत निवासी खेतुसर तहसील बाप जिला फलोदी
3. देवीसिंह पुत्र प्रभुसिंह जाति राजपूत निवासी खेतुसर तहसील बाप जिला फलोदी
4. चुतरसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी खेतुसर तहसील बाप जिला फलोदी
5. नरपतसिंह पुत्र महादानसिंह जाति राजपूत निवासी खेतुसर तहसील बाप जिला फलोदी
6. शेरसिंह पुत्र महादानसिंह जाति राजपूत निवासी खेतुसर तहसील बाप जिला फलोदी

–वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 178/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोलंकी मिनजानिब मुदई पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादीगण स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। नीचे

मुतालिक	बाबत्
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर	फीस सदी सालाना आज की तारीख
वसूल याबी तक	को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.05.2026 को जारी की गई।

Satya..

(सत्य नारायण–I R.A.S.)

सहायक कलक्टर

बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।